झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2340 / 2018

मोहम्मद सनोवर हुसैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय अनुष, निवासी गांव- मुश्लिम मोहल्ला, डाकघर और थाना बालूमठ, जिला- लातेहार

...प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अपर मुख्य सचिव सह पुनरीक्षण प्राधिकरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर और थाना. डोरंडा, जिला- रांची
3. उपायुक्त, लातेहार, डाकघर और थाना और जिला लातेहार
4. प्रभागीय वन अधिकारी-सह-प्राधिकृत अधिकारी, लातेहार, डाकघर , थाना और जिला- लातेहार
5. वन रेंज अधिकारी, लातेहार, डाकघर , थाना और जिला- लातेहार
6. प्रभारी अधिकारी, लातेहार पुलिस स्टेशन, डाकघर ,थाना और जिला- लातेहार

...उत्तरदाताओं

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सर्वेंद्र कुमार, एडवोकेट।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री रवि केरकेट्टा, एडवोकेट।

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षकारों को सूना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

(i) पुनरीक्षण प्रकरण संख्या 74/2017 में पुनरीक्षण प्राधिकरण-सह-अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा पारित दिनांक 14.03.2018 (अनुलग्नक-5) के आदेश को रद्द करना/अलग रखना, जिसके तहत और जहां जब्ती अपील वाद संख्या 14/2016 में उपायुक्त, लातेहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2016 के तहत पुष्टि की गई थी,

(ii) जब्ती अपील मामला संख्या 14/2016 में उपायुक्त, लातेहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 (अनुलग्नक-4) को रद्द करने/अलग रखने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था और जब्ती मामला संख्या 5/2015 प्राधिकरण-सह-वन अधिकारी, लातेहार में प्रभागीय-वन अधिकारी, लातेहार द्वारा जब्ती मामला संख्या 05/2015 में पारित आदेश की पुष्टि की गई थी; और

(iii) जब्ती मामला संख्या 05/2015 में प्राधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 01.08.2016 के आदेश को रद्द करना/रद्द करना,

(iv) कोई अन्य राहत या सुकून।

3. संक्षेप में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि लातेहार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोप लगाया गया था कि 03.02.2015 को, जब वह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त ड्यूटी पर थे, उन्होंने कोयले से लदे दो ट्रकों को जब्त कर लिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रकों को पुलिस द्वारा पीछा करने पर पकड़ लिया गया। ट्रकों के चालक कोई वैध कागज और ट्रक के चालक को प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर पंजीकरण संख्या हो। सीजी- 04डीएल/5181 अर्थात् सनाबाज़ ने खुलासा किया कि ट्रक में 15 टन कोयला लोड किया गया था और यह वास्तव में चोरी की संपत्ति है और याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्ति, वन भूमि से कोयले की अवैध खुदाई में शामिल थे। पुलिस के सामने पेश किए गए कागजात फर्जी और मनगढ़ंत पाए गए। उक्त ट्रक से संबंधित 2015 का जब्ती मामला संख्या 05, वन अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार के समक्ष स्थापित किया गया था, क्योंकि

याचिकाकर्ता कई नोटिसों के बावजूद 2015 के उक्त जब्ती मामले संख्या 05 में उपस्थित नहीं हुआ था। प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार ने उक्त जब्ती कार्यवाही में एकपक्षीय कार्यवाही की और दिनांक 01.08.2016 के आदेश के तहत उक्त ट्रक के संबंध में जब्ती आदेश पारित किया। सीजी-04डीएल/5181 याचिकाकर्ता ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के तहत उपायुक्त, लातेहार के समक्ष 2016 का वन अपील मामला संख्या 14 जब्त किया और इसे भी खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52-बी के तहत पुनरीक्षण दायर किया और जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, उसे भी खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रक पर लोड किया गया कोयला कानूनी रूप से मेसर्स शक्ति कोल, रांची से खरीदा गया है और जिसके संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन नीचे के विद्वान न्यायालय ने मामले के तथ्य पर विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार ने बिना कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस जारी किए, यांत्रिक तरीके से जब्ती आदेश पारित किया, लेकिन रिट याचिका के पैरा 25 में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस अस्पष्ट था और इसमें उत्तर के लिए विशिष्ट सामग्री नहीं थी। याचिकाकर्ता द्वारा दिया जाना है, इसलिए, इस तरह का नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरी जब्ती कार्यवाही समाप्त हो गई है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में प्रार्थना की गई प्रार्थना की अनुमति दी जाए।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 54 (4) (1) के तहत जब्त ट्रक के खिलाफ अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा लातेहार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सिफारिश पर जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई थी, और जब्ती की कार्यवाही शुरू करने की सूचना विद्वान सीजेएम को दी गई थी। प्राधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया और याचिकाकर्ता को उचित समय के भीतर उत्तर देने के लिए नोटिस दिए गए हैं और इस संबंध में,

प्रतिवादियों के विद्वान वकील, प्रतिशपथ पत्र के अनुलग्नक ई की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार, रिट याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी, उसका जवाब मांगने के बावजूद, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के बार-बार नोटिस पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए, अंततः जब्ती आदेश एक तर्कसंगत आदेश द्वारा पारित किया गया था और इसी तरह, 2016 के वन अपील केस संख्या 14 में उपायुक्त, लातेहार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसके द्वारा उक्त अपील दिनांक 01.08.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि उपायुक्त, लातेहार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने पक्ष में ट्रक की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया। प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह, पुनरीक्षण प्राधिकरण सह प्रधान सचिव, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा 2017 के पुनरीक्षण मामला संख्या 74 में पारित दिनांक 28.03.2017 के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसके द्वारा संशोधन को खारिज कर दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या सीजी-04डीएल/5181, है, याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाला घुटम संरक्षित वन क्षेत्र से कोयले का अवैध उत्खनन करके वन संबंधी अपराध में लिप्त था। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता का तर्क, कि उसे अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस रिट याचिका के पैरा 25 में, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी लातेहार द्वारा जारी नोटिस प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता, जब्त किए गए चोरी के कोयले के स्वामित्व के संबंध में ट्रक की जब्ती के समय या अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार के समक्ष जब्ती कार्यवाही के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसलिए, इस रिट याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाता है।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में,

अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा 2015 के जब्ती मामले संख्या 05 में पारित आदेशों को रद्द करने का एकमात्र आधार लिया गया है, उपायुक्त, लातेहार द्वारा पारित अपील केस नंबर 14 ऑफ 2016 और रिवीजनल अथॉरिटी सह प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित 2017 के रिवीजन केस नंबर 74 की बर्खास्तगी का आदेश यह है कि अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी लातेहार द्वारा न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, याचिकाकर्ता के पास यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं कि कथित रूप से चुराया गया कोयला वास्तव में चोरी का कोयला नहीं है, बल्कि इसे कानूनी रूप से मैसर्स शक्ति कोल, रांची से खरीदा गया है।

7. जहां तक याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि उसे 2015 के जब्ती मामले संख्या 05 में अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, वही रिट याचिका के पैरा 25 में किए गए अपने स्वयं के प्रवेश से गलत है, जिसमें, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता को जारी नोटिस, अस्पष्ट है और इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने के लिए निर्दिष्ट सामग्री नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसे नोटिस मिला है, जिसकी पुष्टि प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों के साथ-साथ प्रतिशपथ पत्र के अनुलग्नक ई में भी की गई है, और तथ्य यह है कि लातेहार, उपायुक्त के सामने, याचिकाकर्ता ने 2016 के अपील केस नंबर 14 में कभी भी आंदोलन नहीं किया कि अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार द्वारा नोटिस कभी जारी नहीं किया गया था।

8. जहां तक याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि जब्त किया गया कोयला वास्तव में मेसर्स शक्ति कोल, रांची से वैध रूप से खरीदा गया कोयला है, तथ्य यह है कि कारण बताओ नोटिस की तामील के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कोयले के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया, प्राधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी, लातेहार के समक्ष। याचिकाकर्ता ने जब्ती की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी उक्त वाहन को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि पहली बार, याचिकाकर्ता के लिए केवल इस तथ्य के एक नए आधार पर आंदोलन करना खुला नहीं है कि जब्त कोयला वास्तव में चोरी का कोयला नहीं था, जब इस तरह की जमीन को मूल प्राधिकारी के समक्ष कभी नहीं लिया गया था, अधिकृत अधिकारी-सह-प्रभागीय वन अधिकारी लातेहार, होने के नाते, इसलिए, इस न्यायालय को इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

10. तदनुसार, यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 5 मार्च, 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।